प्रस्तावना

प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए मार्च 2023 (निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल) को समाप्त हुए अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का प्रतिवेतन तैयार की गई है।

प्रतिवेतन में झारखण्ड के सरकारी विभागों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में उन दृष्टांतों का उल्लेख किया गया है जो 2022-23 की अवधि के लिए किए गए लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए तथा साथ ही, उन दृष्टांतो को भी शामिल किया गया है जो पहले के वर्षों में संज्ञान में आए थे, लेकिन पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए जा सकते थे। जहां भी आवश्यक हो, 2022-23 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टांतो को भी शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा और लेखाओं पर जारी लेखापरीक्षा मानकों और विनियमों के अनुरूप की गई है।